

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

[सभा द्वारा पारित]



झारखण्ड विधान-मंडल

के

पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता
(तृतीय संशोधन)

अधिनियम, 2003

[अधिनियम संख्या-11/2003]

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय
द्वारा प्रकाशित ।

झारखण्ड विधान-मंडल के
पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता
(तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003

[सभा द्वारा पारित]

झारखण्ड विधान-मंडल के पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के 54वें (चौवनवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ --
 - (i) यह झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 कहा जा सकेगा ।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 - (iii) यह अधिनियम दिनांक 16 सितम्बर, 2002 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।
2. झारखण्ड अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या-01, 2001) की धारा-IV का संशोधन-(1) झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 01, 2001) में प्रयुक्त शब्द 'दैनिक भत्ता' के स्थान पर शब्द 'प्रभारी भत्ता' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 की धारा-VII का संशोधन
झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम 2001 की धारा-VII में विधान मंडल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 'चिकित्सा भत्ता' के रूप में, के पश्चात् शब्द 'प्रतिमाह' समाविष्ट किया जायेगा ।
4. निरसन एवं व्यावृत्ति --
 - (1) झारखण्ड विधान-मंडल के पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2003) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

यह विधेयक [झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003] दिनांक 10 सितम्बर, 2003 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 10 सितम्बर, 2003 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक 28-11-2003

वेद प्रकाश मारवाह,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सचिवी प्रतिलिपि

(अमरनाथ झा)

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।